उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-170/2017/1742/92-2-2017-37जॉच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 20 सितम्बर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-सुलतानपुर में दिनांक 07-05-2017 को मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम की सूचना होने के उपरान्त भी श्री जगन्नाथ, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर निरीक्षण स्थल पर उपस्थित न रहने तथा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-71/2017/717/92-2-17-37जांच/2017 दिनांक 11-05-2017 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन अविध में श्री जगन्नाथ कार्यालय मुख्य अभियंता, (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्व कर दिया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री जगन्नाथ के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-159/2017/1282/92-2-17-37जांच/2017 दिनांक 31-08-2017 उक्त अनुशासिनक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351 ए में परिवर्तित कर दिया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्र दिनांक 25-07-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री जगन्नाथ पर अधिरोपित आरोप स्थापित नही पाया गया। अतएव जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में आरोप सिद्व न पाये जाने तथा श्री जगन्नाथ के सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को निलम्बन अवधि में नियमानुसार अनुमन्य जीवन निर्वहन भत्ता को समायोजित करते हुये सवेतन बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-170/2017/1742(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री जगन्नाथ, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in